CANCELLED CANCELLED

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर म0प्र0

शिब्बू वल्द शिवलाल गौड़ | I/निगरानी/सागर/भूअ0रा/2018/02160

निवासी- ग्राम बदौआ, तह0 व जिला सागर .. आवेदक/ रिव्हीजनकर्ता.

// बनाम //

म0प्र0 शासन .. अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय सर्किल सुरखी, के प्र0क्र0 12अ/6 वर्ष 2012-13 आदेश दिनांक 17.10.17 से परिवेदित होकर यह निगरानी आवेदन पत्र निम्न आधारों पर वा माननीय राजस्व मंडल महोदय द्वारा निगरानी प्र0क्र0 356- द्वितीय-15 आदेश दिनांक 16.11.15 का परिपालन ना करने के कारण यह निगरानी प्रस्तुत करता है।

1:- यहकि माननीय अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत न्याय सम्मत ना होने से वा माननीय राजस्व मंडल द्वारा दिये गये दिशा निर्देशो का पालन ना करने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं है, अधिनस्थ न्यायालय ने धारा- 177!2! भू0 रा0 सं0 का पालन ना करते हुये जिसबिन्दु पर पूर्व में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरण ना किये जाने का आदेश अवधि बाह्य मानकर किया था उसी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 33 वर्ष बाद आवेदक द्वारा वादग्रस्त भूमि पर प्रस्तुत दावा विधि प्रावधानो के अनुकूल ना होने से निरस्त किया हैं। प्रकरण संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक को अपंजीकृत बसियतनामा दिनांक 19.04.78 के अनुसार खसरा नम्बर 61,64,83, 149 रकवा 4.86 एकड़ नया नम्बर 106, 116, 226 रकवा 1.92 हेक्टेयर के नामांतरण हेतू अपर कलेक्टर महोदय, सागर को दिया था नायब तहसीलदार द्वारा जांच उपरांत आवेदन निरस्त करने का प्रतिवेदन दिया था प्र0क्र0 27अ/6-अ वर्ष 13-14 में दिनांक 02.07.14 को अपर कलेक्टर द्वारा निरस्त कर दिया गया था उक्त अपील माननीय अपर कमिश्नर महोदय, सागर के समक्ष की गई थी जिसे दिनांक 14.09.15 में निरस्त कर दी गई थी जिसके

..2/-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2018/2160 शिब्बू विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार सुरखी के प्रकरण क्रमांक 12अ/6/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 17-10-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 20-03-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । 4.1.19 (आर.के. जैन) सदस्य	